



Neutral Citation Number-2026:AHC:127439

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-19914/2026

आदिल

.....आवेदक/आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/विपक्षीगण

आवेदक/आवेदकगण के अधिवक्ता

: सैयद फैज़ हसनैन

विपक्षी/विपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए., जितेंद्र सिंह

न्याय कक्ष संख्या-45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद फैज़ हसनैन, प्रथम सूचनाप्रदाता के विद्वान अधिवक्ता और यू.पी. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या-50/2026, धारा 103(1), 61(2) बी.एन.एस., थाना-मैनाठेर, जिला- मुरादाबाद में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है। एफ.आई.आर. में उसका नाम नहीं है, जबकि सह-आरोपी अजीम बाबू का नाम दिनांक 01.03.2026 की एफ.आई.आर. में दर्ज है। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, मृतक दिनांक 27.02.2026 की सुबह से लापता था। इसके बाद,

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दिनांक 27.02.2026 को प्रथम सूचनाप्रदाता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मृतक का शव दिनांक 28.02.2026 को बरामद हुआ। बाद में, दिनांक 01.03.2026 को एफ.आई.आर. दर्ज की गई जिसमें सह-आरोपी अजीम बाबू का नाम सम्मिलित था। आगे यह भी कहा गया है कि एफ.आई.आर. या सूचनाप्रदाता के बयान में आवेदक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। जांच के दौरान दिनांक 29.03.2026 को कथित चक्षुदर्शी गवाहों उस्मान और नजीर ने आवेदक और सह-आरोपी अजीम बाबू का नाम लिया। कथित चक्षुदर्शी गवाहों उस्मान और नजीर ने आवेदक का नाम लेने में हुई देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया है। यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और आवेदक के विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य आखिरी बार साथ देखे जाने का है। आवेदक के पास से या उसकी निशानदेही पर कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। परिस्थितियों की कड़ी पूरी नहीं है। आगे यह भी कहा गया है कि इसी तरह की भूमिका वाले सह-आरोपी अजीम बाबू को इस अदालत की एक अन्य पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-17399/2026 में दिनांक 27.05.2026 के आदेश के तहत पहले ही जमानत दे दी है। यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 02.03.2026 से जेल में है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. और सूचनाप्रदाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि इसी तरह के मामले में सम्मिलित एक और आरोपी, अजीम बाबू को इस न्यायालय की ही एक पीठ ने जमानत दे दी है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-आरोपी अज़ीम बाबू को इस न्यायालय की एक पीठ ने ज़मानत दे दी है और उस आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय ने न तो रद्द किया है और न ही उस पर रोक लगाई है, और साथ ही आवेदक दिनांक 02.03.2026 से जेल में बंद है, इसलिए मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करना उचित प्रतीत होता है ।

7. ज़मानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है ।

8. आवेदक **आदिल**, जो ऊपर बताए गए मामले में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। यदि इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि के अनुसार आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए प्रस्तुत होना होगा। यदि वह बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा-229-ए/बी.एन.एस. की धारा-269 के तहत कार्रवाई कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा-82/बी.एन.एस. की धारा-84 के तहत

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार आई.पी.सी. की धारा-174-ए/बी.एन.एस. की धारा-209 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सी.आर.पी.सी. की धारा-313/बी.एन.एन.एस. की धारा-351 के तहत बयान दर्ज होने पर इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो न्यायालय इस चूक को ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

9. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

23 जून, 2026

राधिका

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”